न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 34 / 2020

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी
सोदाराम पुत्र श्री पदमाजी घांची स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही
निवासी सिन्दरथ तहसील व जिला सिरोही
उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2–अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)

रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

27-8-2020

आदेश दिनांक 27-8-2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 2–3–2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मय कुआ मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील व जिला सिरोही मे राजस्व रेकड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के अनुसार नया खाता संया 326 पुराना खाता नंबर 291 के खसरा नंबर 953,958,959,960,963,964,966,967 कुल किता 8 कुल क्षैत्रफल 4.6700 हैक्टेयर तथा खाता नंबर नया 279 पुराना खाता नंबर 254 खसरा नंबर 1193,1194,1326 कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 1.3600 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार चौपाराम पुत्र पदमा दर्ज है जो पदमा पुत्र मोतीजी के मृत्यु के बाद उनके वारिसान मे नामान्तकरण दर्ज केसमय राजस्व अधिकारियों / कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश खातेदार सोदा पुत्र पदमा के स्थान पर गलत नाम चोपा पुत्र पदमा दर्ज कर दिया है। उपरोक्त खाता नंबरान की आराजी पुश्तैनी है जिसमे प्राथी के नाम बतौर वारिसदार सोदाराम के स्थान पर चौपाराम का इन्द्राज राजस्व रेकमर्ड मे राजस्व कर्मचारियों की भल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड ,वोटर कार्ड,राशनकार्ड,बैंकखाता ,भामाशाह कार्ड आदि मे सोदाराम पुत्र पदमाजी के नाम से बने हुये है। खाता नंबर 326 व 279 के अन्य सहखातेदार प्रभावित पक्षकार नही होने से उन्हे पक्षकार अप्रार्थी नही बनाया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही मे स्थित कृषि भूमि मय कुआ नया खाता संया 326 पुराना खाता नंबर 291 के खसरा नंबर 953,958,959,960,963,964,966,967 कुल किता 8 कुल क्षैत्रफल 4.6700 हैक्टेयर तथा खाता नंबर नया 279 पुराना खाता नंबर 254 खसरा नंबर 1193,1194,1326 कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 1.3600 हैक्टेयर मे खातेदार का नाम गलत इन्द्राज चोपा पुत्र पदमा के स्थान पर सोदा पुत्र पदमा दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ जमाबंदी संवत 2072 से 2075 व जमाबंदी संवत 205 से 2054 ,पासबुक संवत 2032 आधार कार्ड भामाशाह ,बैकपास बुक राशनकार्ड की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दिनांक 2–3–2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया । विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 27–3–2020को अप्रार्थी का नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त नही होने से यह पत्रावली कोरोना वायरस कोविड–19 के महामारी के कारण लोकडाउन की वजह से राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशानुसार आज दिनांक 17–8–2020 को मेरे समक्ष न्यायालय मे पेश हुई । दौराने सुनवाई न्यायालय मे वकील प्रार्थी तथा अप्राथी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित । पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार कालन्द्री ने दौराने सुनवाई जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे कथन किया कि ग्राम सिन्दरथ के जमाबंदी संवत 2072 से 2075के खाता संख्या 326 व 279 एवं पुरानी जमाबंदी संवत 2051से 2054 खाता संख्या 132 मे चौपा पुत्र पदमा 1/4 घांची दर्ज है जो प्रार्थी के अनुसार खातेदार का नाम गलत अंकन है। जबकि उनका वास्तविक सही नाम सोदाराम पुत्र पदमाराम है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने सबूत मे आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड ,राशनकार्ड ,बैंक पासबुक ईत्यादि दस्तावेज पेश किये है। अतः प्रार्थीका चौपा पुत्र पदमा के बजाय सोदाराम पुत्र पदमाराम दर्ज करना उचित है।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–8–2020 को वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहसकरने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियों व जवाब तहसीलदार,सिरोही का गहनतापूवक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार कालन्द्री ने अपनी बहस मे यह स्वीकार किया है कि ग्राम सिन्दरथ के जमाबंदी संवत 2072 से 2075के खाता संख्या 326 व 279 एवं पुरानी जमाबंदी संवत 2051से 2054 खाता संख्या 132 मे चौपा पुत्र पदमा 1/4 घांची दर्ज है जो प्रार्थी के अनुसार खातेदार का नाम गलत अंकन है। जबकि उनका वास्तविक सही नाम सोदाराम पुत्र पदमाराम है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने सबूत मे आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड ,राशनकार्ड ,बैंक पासबुक ईत्यादि दस्तावेज पेश किये है। अतः प्रार्थीका चौपा पुत्र पदमा के बजाय सोदाराम पुत्र पदमाराम दर्ज करना उचित बताया है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (अधिनस्थ अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील व जिला सिरोही मे स्थित आराजी राजस्व रेकड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के अनुसार नया खाता संया 326 पुराना खाता नंबर 291 के खसरा नंबर 953,958,959,960,963,964,966,967 कुल किता 8 कुल क्षैत्रफल 4.6700 हैक्टेयर तथा खाता नंबर नया 279 पुराना खाता नंबर 254 खसरा नंबर 1193,1194,1326 कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 1.3600 हैक्टेयर वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी खातेदार का गलत दर्ज नाम चोपा पुत्र पदमा के स्थान पर सही नाम सोदा पुत्र पदमा दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को सूचित करावें । आदेश रारे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर [illegible] कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:29 IST
Reason: SelfAttested

(हंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)